

21/11/06

सेवा में श्रीमान

रस्तो एचओ और साएव.

थाना कापलहेड - 15 दिल्ली

विषय - मानसिक उत्पीड़न एवं जानमाल की सुरक्षा हेतु


महोदय - निवेदन यह है कि मैं प्राथमिकी बना देवी पुत्री स्व. राजेश सा  
 ग्राम वनसाल पुलिस थाना पिपाम जिला दरभंगा बिहार को 15 में भेजते फिर  
 एचओएल को 100 डायग बिहार जिला I गुदगान में काम कर रही है मैं  
 सर्वभारत में सर्व समालोचन में श्री लतीश यादव के घर। किराये में अपने  
 बच्चों के साथ रहती हूँ। श्रीमान जी मेरा हमारी कम्पनी भालिक गौरव  
 भाषिक के पुत्र और उद्योगिक घर के वीर धर्मकी दे रहा है थाना  
 22/11/06 है मुझे और उद्योगिक घर के वीर धर्मकी दे रहा है थाना  
 हिलाव लेके चुपचाप नौकरी छोड़ के चलीकरी 8 में 5 उद्योग छोड़ कर लफटा  
 है। आज लुपे 16 गैर 21/11/06 को चलीकरी 8 में 5 उद्योग छोड़ कर लफटा  
 है।

1) गौरव भाषिक 2) विनोद शर्मा 3) महावीर सेनी 4) सुरेंद्र शर्मा अन्य दो  
 अनजान युवकों के साथ आए और मुझे धमकी देना जाये है कि अगर  
 मैं कोई भी चेष्टा हुई तो वीर नहीं होगा। आज सामु को फिर  
 आने की धमकी देकर जाये है। श्रीमान में गरीब विधवा हूँ आपसे  
 करवहु अशुभोचन करती हूँ कि मेरी जानमाल की सुरक्षा की जायतथा  
 उपरोक्त चारों नामजद व्यक्तियों के साथ उचित कानूनी कार्यवाही की  
 जाए आपकी अति कृपा होगी।

कम्पनी 6 वर्ष वरु है गई है  
 भाषिक का पता एच वल 22/11/06  
 को देगे गाड़ी को नंबर नोट नही  
 N/A कर पाये

प्राथमिकी  
 देवी  
 W/O स्व. राजेश सा  
 लतीश यादव का  
 भवान गाँव  
 समालोचन नई दिल्ली

पता: गौरव भाषिक 31/04/06 जेज प्रताप सिंह भाषिक  
 W/11/8 W-11 LANE WESTERN AVENUE  
 SHANIK FARM NEW DELHI-62



02  
 20  
 10





सम्बन्ध आदरणीय इलाका मजिस्ट्रेट, गुरुगावा।  
 सुमन क्वारा बनाम गौरव मीलक क्वारा

कम्प्लेन्ट नंबर धारा 403/406, 509  
 120-बी आई.पी.सी.

दोषी गौरव मीलक तथा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिता को प्रेसवापिस पर जान से मारने की धमकी देने बारे।

===

आदरणीय प्रीमान जी,

प्रार्थी सादर निवेदन रखती है :-

- 1- यह कि प्रार्थी को शिक्षायत जनता का अदाकार में लक्ष्मिधर है जिस पर आप को तारोप निषिद्ध है।
- 2- यह कि प्रार्थी को शिक्षायत में दोषी गौरव मीलक पिछले 2-3 दिन से अपने प्रसनल मैनेजर विमोद, महाबार सेना व सुरेन्द्र मिशर के साथ बार-बार प्रार्थी के घर जाता है तो उपरोक्त शिक्षायत वापिस लेने का इत्ताव दे रहा है शिक्षायत वापिस ना लेने पर जान से मारने की धमकी देता है तथा कम्पनों से नौकरों से निजालने को धमकी देता है। दोषी आज हाथीरअंकांत है।
- 3- यह कि प्रार्थनी इत जारे एक शिक्षायत कास्तहेला नई दिल्ली में जो दिनांक 22.11.2006 को था।

अतः माननीय अदालत से साथ जोधकर प्रार्थनी है कि शिक्षायत को शिक्षायत कक्ष से त्वरत कार्यवाही अदालत में लाई जाये व एक बराबर शिक्षायत के जान व मान को रक्षा को कार।

आपको अति श्रुत लेनी

प्रार्थी वीनाद्वीती

तलमन ~~रखना~~

बोना देना वरत स्व0 राजेन्द्र दां  
 गांव तथा खा नई इलाका।

No 22/11/06

2- शिक्षायत 140 21.11.2006 को  
 मूला प्रती।

Original sent to  
 Concerned SMO  
 for information and necessary action.

दिनांक : 22.11.2006

Through counsel

Judicial Magistrate Ist Class

Arz

22/11/06

